



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 29.01.2024

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी वीजा व पास पोर्ट बनाने वाले गिरोह का फर्दाफाश कर 01 अभियुक्त एवं 1 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 01 लैपटॉप मय पैन ड्राइव, 05 मोबाइल फोन, 6 डेबिट कार्ड, 6 आधार कार्ड, जाली मोहर व कुल 30500 रुपये नकद व 01 फर्जी पासपोर्ट एवं वीजा बरामद।

घटनाक्रम का विवरण--- दिनांक 29.01.2024 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा दुकान संख्या एसएफ 95 गौर सिटी सेन्टर से लोगो के साथ फर्जी पासपोर्ट व वीजा बनवाने व विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे ऐठने वाले अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र युगल मेहतो निवासी मयुर गंज त्रिलोकपुरी, दिल्ली व अभियुक्ता सुष्मा पत्नी स्व0 हेमराज निवासी ग्राम चन्द्रा गिरी 07,थाना थानकोट, काठमाण्डु नेपाल हाल पता बिशनपुरा सेक्टर-58 नोएडा गौतमबुद्धनगर को दुकान संख्या एसएफ 95 गौर सिटी सेन्टर से मय घटना में प्रयुक्त लैपटाप व अन्य उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध करने का तरीका--- लोगो के साथ फर्जी पासपोर्ट व वीजा बनवाने व विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे ऐठना ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण---

- 1.मुकेश कुमार पुत्र युगल मेहतो निवासी मयुर गंज त्रिलोकपुरी, दिल्ली ।
- 2.अभियुक्ता सुष्मा पत्नी स्व0 हेमराज निवासी ग्राम चन्द्रा गिरी 07, थाना थानकोट, काठमाण्डु नेपाल हाल पता बिशनपुरा सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास---

- 1.मु0अ0सं 58/2024 धारा 420/406/467/468/471 थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 2.मु0अ0सं0 166/2022 धारा 420/406/467/468/471 थाना सेक्टर-20 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण---

एक लैपटॉप मय पैन ड्राइव, 05 मोबाइल फोन, 6 डेबिट कार्ड , 6 आधार कार्ड , जाली मोहर व कुल 30500 रुपये , व 01 फर्जी पासपोर्ट व वीजा अभियुक्तगण का

2.थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 11.01.2024 को हुए मर्डर का सफल अनावरण करते हुए हत्या के षडयन्त्रकारी 02 अभियुक्तों को मय 02 अदद तमंचा .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल होण्डा शाइन के साथ किया गया गिरफ्तार

घटनाक्रम का विवरण--- दिनांक 29.01.2024 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0017/2024 धारा 302/120 बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तों को लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये 1. साजिद सैफी पुत्र जमील सैफी 2. रतन सिंह पुत्र स्वर्गीय देवी सिंह उम्र 55 वर्ष को मय 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के रूपवास गोलचक्कर से आमका की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से दिनांक 11.01.2024 को मृतक सुखपाल की हत्या की घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल होन्डा शाइन बरामद की गयी है। बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 875/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दादरी पर मु0अ0सं0 44/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

बरामदगी का विवरण

- 1.02 अदद तमंचा 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 01 मोटरसाइकिल होन्डा शाइन जिस पर रजि0नं0 UP 13 BW 3685 की प्लेट लगी है। (घटना मे प्रयुक्त)। जो जांच करने पर थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर से चोरी होना पाया गया है जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 875/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत है ।

अभियुक्तों का विवरण---

- 1.साजिद सैफी पुत्र जमील सैफी निवासी गांव अमराला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद हाल पता टीआरएस स्कूल के पास सिद्धीकपुरा थाना पिलखुआ जनपद हापुड उम्र 21 वर्ष
2. रतन सिंह पुत्र स्वर्गीय देवी सिंह निवासी सुनपुरा थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर उम्र 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण---

1. साजिद सैफी पुत्र जमील सैफी निवासी गांव अमराला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद हाल पता टीआरएस स्कूल के पास सिद्धीकपुरा थाना पिलखुआ जनपद हापुड उम्र 21 वर्ष
- 1.मु0अ0सं0 336/2020 धारा 379/411 भादवि थाना धौलाना जिला हापुड
2. मु0अ0सं0 416/19 धारा 411/414/ 420/482 भादवि थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 059/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 060/2021 धारा 414 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद5. मु0अ0सं0 624/2020 धारा 379/411/467 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 740/2019 धारा 379/411 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 012/2021 धारा 379/411 भादवि थाना टीपीनगर जनपद मेरठ
8. मु0अ0सं0 0017/2024 धारा 302/120 बी भादवि थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0सं0 0044/2024 धारा 3/25आर्म्स एक्ट थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

2. अभियुक्त रतन सिंह पुत्र स्वर्गीय देवी सिंह निवासी सुनपुरा थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर उम्र 55 वर्ष

1. मु0अ0सं0 0194/2020 धारा 307/34/452/504/506 भादवि थाना ईकोटेक तृतीय कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 0017/2024 धारा 302/120 बी भादवि थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 0044/2024 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर